

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-03/2017/.....30..... /पटना, दिनांक...19.12.17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),

निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ), गया, नवादा, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, बांका, पूर्णियाँ, कटिहार, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, प० चम्पारण, वैशाली, सारण एवं सिवान।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0001 प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि ₹ 1,82,54,800/- (एक करोड़ बेरासी लाख चौवन हजार आठ सौ रुपये मात्र) का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को तथा पत्रांक-1208 दिनांक 13.12.2017 द्वारा बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक पर दिनांक 08.12.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. उक्त पत्रों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि (द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण सहित) की सीमा में 31.03.2018 तक व्यय किया जा सकता है।

3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।


4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 0001-प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040001 है।


5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 26 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।


6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।


7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
9. सरकारी कर्मियों के लिए अनिवार्य कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (NILET) में उत्तीर्ण पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा भुगतान की गई प्रशिक्षण शुल्क/शुल्क का नियमानुसार भुगतान प्रशिक्षण व्यय मद में आवंटित राशि से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
10. वित्त विभाग के ज्ञापांक 599 दिनांक 07.07.2010 के आलोक में वेतन एवं भत्ते से संबंधित विषय शीर्षो -01-01 से 01-07 में यदि किसी विषय शीर्ष में कम राशि प्रावधानित/आवंटित है तो जिस विषय शीर्ष में अधिक राशि प्रावधानित/आवंटित है में से घटाते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जा सकती है।
11. वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि से नियमित वेतन भुगतान के पश्चात् यदि राशि अवशेष रहती है तो नियमानुसार बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है।
12. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

  
बजट सहायक

  
प्रशाखा पदा०

  
19.12.17  
सहायक निदेशक

विश्वासभाजन  
  
19.12.17  
निदेशक

ज्ञापांक .....30...../पटना, दिनांक .....19.12.17.....


प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक .....30...../पटना, दिनांक .....19.12.17.....

प्रतिलिपि: 1. संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक .....30...../पटना, दिनांक .....19.12.17.....

- प्रतिलिपि:-1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।  
2. वरीय संयुक्त निदेशक /सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।  
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
19.12.17  
निदेशक



आवंटन विवरणी


मुख्य शीर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष- 0001- प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0 35 एवं विपत्र कोड- 35-3454022040001

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01	01-03	01-04	01-05	01-06	अन्य	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01	11-01	13-01	20-03	28-01	कुल योग
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता			चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	प्रशिक्षण व्यय	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	
1	जिला सांख्यिकी कार्यालय	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पटना	600000	0	75000	6000	39500	0	720500	0	10000	0	10000	0	740500
2	नालन्दा	700000	0	0	0	27200	0	727200	0	5000	0	10000	0	742200
3	श्रीजपुर	800000	0	80000	4000	2700	0	886700	0	5000	0	10000	0	901700
4	बक्सर	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	10000	0	15000
5	रोहतास	700000	0	70000	0	36200	0	806200	0	5000	0	10000	0	821200
6	कैमूर(भशुआ)	100000	0	80000	0	40000	0	220000	0	5000	0	10000	0	235000
7	गया	0	0	50700	0	30000	0	80700	0	10000	0	10000	0	100700
8	नवादा	700000	0	34000	0	45000	0	779000	0	5000	0	10000	0	794000
9	मुंगेर	400000	0	104000	0	40000	0	544000	0	5000	0	10000	0	559000
10	बेगूसराय	300000	0	6000	0	20000	0	326000	0	5000	0	10000	0	341000
11	खगड़िया	340000	0	0	0	8000	0	348000	0	5000	0	10000	0	363000
12	जमुई	450000	0	4900	0	10000	0	464900	0	5000	0	10000	0	479900
13	बांका	0	0	11000	0	35000	0	46000	0	5000	0	10000	0	61000
14	पूर्णिया	600000	0	40000	0	30000	0	670000	0	5000	0	10000	0	685000
15	कटिहार	120000	0	28500	0	10000	0	158500	0	5000	0	10000	0	173500
16	मधेपुरा	149000	0	22000	0	20000	0	191000	0	5000	0	10000	0	206000
17	दरभंगा	1200000	0	130000	0	40000	0	1370000	0	5000	0	10000	0	1385000

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भता	01-04 मकान किराया भता	01-05 परिवहन भता	01-06 चिकित्सा भता	अन्य	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	मधुबनी	500000	0	62000	0	30000	0	592000	0	10000	0	10000	0	612000
19	समस्तीपुर	2000000	0	0	0	8800	0	2008800	0	10000	0	10000	0	2028800
20	मुजफ्फरपुर	200000	0	25000	0	8000	0	233000	0	5000	0	10000	0	248000
21	सीतामढ़ी	600000	0	64300	0	20000	0	684300	0	5000	0	10000	0	699300
22	शिवहर	100000	0	0	0	1200	0	101200	0	5000	0	10000	0	116200
23	प० चम्पारण	500000	0	0	0	2800	0	502800	0	5000	0	10000	0	517800
24	वैशाली	900000	0	0	0	0	0	900000	0	5000	0	10000	0	915000
25	सारण	800000	0	0	0	0	0	800000	0	5000	0	10000	0	815000
26	सिवान	3500000	0	139000	0	40000	0	3679000	0	10000	0	10000	0	3699000
कुल योग:-		16259000	0	1026400	10000	544400	0	17839800	0	155000	0	260000	0	18254800

(एक करोड़ बेरासी लाख चौवन हजार आठ सौ रुपये मात्र)

  
बजट सहायक

  
प्रशाखा पदाधिकारी

  
सहायक निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

निदेशक

  
19.12.17